

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- 180

दिनांक:- 7/5/13

कार्यालय आदेश

मण्डल की शास्त्री नगर, बांसवाडा आवासीय योजना में अवशिष्ट एवं पूर्व में निरस्त विभिन्न श्रेणी के आवासों का निस्तारण निम्नानुसार किये जाने की स्वीकृति एतत् द्वारा प्रदान की जाती है:-


नीलामी से निस्तारित किये जाने वाले आवासों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	योजना/शहर	आवास की श्रेणी	अवशिष्ट आवास संख्या
1.	शास्त्री नगर, बांसवाडा	एम.आई.जी "ए"	3-आई-1, 3-आई-2, 3-आई-3, 3-जे-1, 3-जे-3(कुल आवास-5)
		एम.आई.जी "बी"	2-ई-2, 4-ए-26, 4-ए-27 (कुल आवास-3)

खुली बिक्री योजना से निस्तारित किये जाने वाले आवासों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	योजना/शहर	आवास की श्रेणी	अवशिष्ट आवास संख्या
1.	शास्त्री नगर, बांसवाडा	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)	2-सी-33, 2-डी-8, 2-डी-10, 3-डी-19 से 3-डी-24 तक, 3-डी-26 से 3-डी-30, 3-के-1 से 3-के-14 तक, 1-ई-10, 1-एफ-20, 1-एफ-21, 1-एफ-22, 1-एफ-25, 1-एफ-46, 2-बी-14, 2-सी-8, 2-सी-11, 2-सी-13, 2-सी-52, 4-सी-7, 4-डी-9, 4-डी-10, 4-डी-12, 4-ई-6, 4-ई-14 (कुल आवास -45)
		अल्प आय वर्ग	3-सी-4, 3-सी-9, 3-सी-16, 3-सी-18, 3-डी-5, 3-डी-11, 3-ई-11, 3-जी-3, 3-जी-17, 3-जी-26, 3-जी-32, 3-ई-7, 3-ई-9, 3-ई-27, 4-बी-18 (कुल आवास -15)
		घरोंदा योजना	1-ए-2, 1-ए-6, 1-सी-1, 1-सी-4, 1-सी-20(कुल आवास- 5)

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


 (डॉ० आर. वेकटेश्वरन)
 आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

2. निजी सचिव, सचिव/मुख्य अभियंता/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, अति.मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/पी. एण्ड एम., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, वृत्त उदयपुर, राजस्थान आवासन मण्डल, उदयपुर।
5. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-डूंगरपुर, राजस्थान आवासन मण्डल, डूंगरपुर।
6. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, रा0आ0मं0, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी को मेल करें।
7. रक्षित पत्रावली।



मुख्य सम्पदा प्रबन्धक